न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 41/2024

अपीलान्ट

1. माधुराम पुत्र बीरमजी के कायम मुकाम-
   1/1-श्रीमती तारादेवी पुत्री श्री माधुराम
   1/2-मंजू पुत्री श्री माधुराम
   1/3-संगीता पुत्री श्री माधुराम
   जातियान-मेघवाल
   निवासीगण-मेघवालों का बास,
   तीसरी पोल के अन्दर, महामन्दिर
   जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. मोहनी देवी पत्नि मादाराम
2. भंवर लाल पुत्र श्री सीमा राम
3. पोला राम पुत्र लालाराम
4. मनोहर लाल पुत्र लालाराम
5. कंचन पुत्री लालाराम
6. फुलवंती पुत्री लालाराम
7. सोवनी पत्नि लाला राम
8. डूंगरदास पुत्र श्री चेलदास के का.मुकाम-
   8/1-प्रेमदास पुत्र श्री डुंगरदास
   8/2-कैलाशदास पुत्र श्री डुंगरदास
   8/3-रामरतनदास पुत्र श्री डुंगरदास
   8/4-रामनिवास पुत्र श्री डुंगरदास
   8/5-अन्नु पुत्री श्री डुंगरदास
   8/6-भगवती पुत्री श्री डुंगरदास
9. गैरा देवी पुत्री चेलाराम
10 गोकलराम पुत्र सोनाराम
11 ढगलाराम पुत्र सोनाराम
12 ईश्वर राम पुत्र सोनाराम
13 गंगाराम पुत्र माधाराम
14 शंकरराम पुत्र माधाराम
15 सोहनलाल पुत्र माधाराम
16 सुशिला देवी पुत्री माधाराम
17 गीता देवी पुत्री माधाराम
18 ओमप्रकाश पुत्र चन्दाराम
19 बसंती देवी पुत्री चन्दाराम
20 सुमन पुत्री चन्दाराम
21 कौशल्या पुत्री चन्दाराम
22 सरोज पुत्री चन्दाराम
23 अंतिम पुत्री चन्दाराम
   सभी जातियान मेघवाल,
   निवासीगण- ग्राम बिसलपुर
   तहसील व जिला जोधपुर
24 राजेन्द्र कुमार पुत्र हरचन्दराम
25 शेराराम पुत्र हरचन्दराम,
   जातियान मेघवाल
   निवासीगण- ग्राम डांगियावास
   तहसील व जिला जोधपुर।
26 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:26 IST
Reason: SelfAttested

म्यूटेशन प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 [illegible]स्थान [illegible] राजस्व अधिनियम विरुद्ध म्यूटेशन संख्या 1149 जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक [illegible].05.1991 को स्वीकृत किया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 41/2024 अनवान माधुराम बनाम मोहनी देवी व अन्य

उपस्थितिः- 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 25 तक कोई उपस्थित नहीं।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 26 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 30.01.2025

अपीलान्ट माधुराम पुत्र बीरमजी जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, महामन्दिर तीसरी पोल के अन्दर, जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट मोहनी देवी पत्नि मादाराम, जाति मेघवाल, निवासी- ग्राम बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर व अन्य के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 28.05.1991 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1149 ग्राम बिसलपुर को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर में स्थित खेत खसरा संख्या 240 रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा भूमि में 1/4 हिस्सा डूंगरराम उर्फ डूंगरदास पुत्र चेलदास का था। डूंगरराम उर्फ डूंगरदास पुत्र चेलदास ने अपना 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 02.03.1981 को विक्रय किया एवं बेचाननामें का उक्त दस्तावेज उप-पंजीयक जोधपुर के कार्यालय में दिनांक 24.03.1981 को पुस्तक संख्या प्रथम जिल्द संख्या 687 के पृष्ठ संख्या 273 से 276 के कम संख्या 583 पर पंजीबद्ध हुआ। उक्त बेचान के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1162 ग्राम पंचायत बिसलपुर द्वारा दिनांक 05.04.1991 को अपीलान्ट के नाम से स्वीकृत किया गया एवं राजस्व रेकर्ड एवं जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम अमल दरामद किया गया। दिनांक 05.04.1991 को अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत हो जाने के कारण अपीलान्ट माधूराम डूंगरराम के स्थान पर खातेदार दर्ज हो गया था। लेकिन नामान्तरकरण संख्या 1149 में गलत रूप से डूंगर दास पुत्र चेलदास को 1/4 हिस्से के खातेदार बताकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जबकि डूंगरदास ने अपना हिस्सा दिनांक 02.03.1981 को ही अपीलान्ट को विक्रय कर दिया था। जो बंटवाड़ें का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया उसमें अपीलान्ट की कोई सहमति नहीं थी, ना ही बंटवाड़े पर अपीलान्ट ने हस्ताक्षर किये थे, इसलिये नामान्तरकरण गलत स्वीकृत हुआ है। जमाबंदी संवत् 2048 से 2051 में अपीलान्ट का नाम दर्ज था, लेकिन बाद में उक्त नामान्तरकरण संख्या 1149 में नोट लगाकर अपीलान्ट का नाम खातेदारी से हटा दिया गया। अभी हाल ही में दिनांक 01.09.2014 को अपीलान्ट पटवारी हल्का के पास गया और कहा कि अपीलान्ट का नाम वापिस जोड़ा जायें तो पटवारी हल्का ने कहा कि जब तक नामान्तरकरण संख्या 1149 निरस्त नहीं होता है, तब तक अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं हो सकता है। तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को नामान्तरकरण संख्या 1149 की जानकारी होने पर दिनांक 01.09.2014 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 28.05.1991 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1149 ग्राम बिसलपुर को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट माधुराम का देहांत हो जाने के कारण उनके स्थान पर उसके कायम मुकामान को बतौर अपीलान्ट रेकर्ड पर लिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:26 IST
Reason: Self Attested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी किये गये एवं दिनांक 21.12.2022 को दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में भी नोटिस प्रकाशित किया गया, लेकिन रेस्पोर्डेटस की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं आया।

अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम बिसलपुर में खसरा नम्बर 240 रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा भूमि में 1/4 हिस्सा डूंगरराम उर्फ डूंगरदास पुत्र चेलदास का था। डूंगरराम ने अपना 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 02.03.1981 को अपीलान्ट माधुराम को विक्रय कर दिया। उक्त बेचान के अनुसार म्युटेशन संख्या 1162 ग्राम पंचायत बिसलपुर द्वारा दिनांक 05.04.1991 को अपीलान्ट के नाम से स्वीकृत किया एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपीलान्ट का नाम अमल-दरामद किया गया। इस प्रकार विक्रेता डूंगरराम के स्थान पर 1/4 हिस्सा माधुराम के नाम दर्ज हो गया। दिनांक 05.04.1991 को अपीलान्ट के नाम म्युटेशन दर्ज होने के पश्चात दिनांक 28.05.1991 को बंटवाडे का म्युटेशन संख्या 1149 तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया, उसमें पुनः अपीलान्ट के स्थान पर विक्रेता डूंगरराम उर्फ डूंगरदास का नाम दर्ज कर दिया, जिस कारण से अपीलान्ट का नाम पुनः खातेदारी से हट गया एवं विक्रेता डूंगरराम उर्फ डूंगरदास के नाम भूमि दर्ज हो गई, जबकि अपीलान्ट के पक्ष में जो म्युटेशन संख्या 1162 दिनांक 05.04.1991 को स्वीकृत हुआ, वह किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देरी को कण्डोन करने तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 28.05.1991 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1149 ग्राम बिसलपुर को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 26 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर में स्थित खेत खसरा संख्या 240 रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा भूमि में 1/4 हिस्सा डूंगरराम उर्फ डूंगरदास पुत्र चेलदास का था। उक्त खसरे की उक्त भूमि में से तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण का जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया सही व विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने व तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 28.05.1991 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1149 ग्राम बिसलपुर को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन विचारण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते है कि ग्राम बिसलपुर के खसरा नम्बर 240 की 35 बीघा 19 बिस्वा भूमि में 1/4 हिस्से के खातेदार डूंगरराम उर्फ डूंगरदास पुत्र चेलदास ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अपीलान्ट माधुराम पुत्र बिरमजी को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा विक्रय की, जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1162 ग्राम पंचायत बिसलपुर द्वारा अपीलान्ट के नाम स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात बंटवाडे का जो नामान्तरकरण संख्या 1149 [illegible] नम्बर 240/1/मी. रकबा 18 बीघा डूंगरदास पुत्र चेलदास व चेलदास [illegible] के नाम का अंकन कर दिया गया, जबकि डूंगरदास व चेलदास का नाम इस नामान्तरकरण में दर्ज नहीं होना चाहिए था, बल्कि केता माधुराम पुत्र [illegible] चाहिए था। विशेषकर ऐसी स्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:26 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) (राज.) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 41/2024 अनवान माधुराम बनाम मोहनी देवी व अन्य

जब अपीलान्ट के पक्ष में हुआ बेचाननामा न तो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, न ही अपीलान्ट के पक्ष में हुआ नामान्तरकरण संख्या 1162 किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1149 आंशिक रूप से निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारों को सुनकर नियमानुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण में डूंगरराम उर्फ डूंगरदास पुत्र चेलदास का जो नाम दर्ज है, उसके स्थान पर माधुराम पुत्र बिरमजी का नाम दर्ज कर दुरूस्ती की जावे। तद्नुसार जमाबंदी में भी इसी अनुसार दुरूस्ती की जाकर संशोधन किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार जोधपुर का भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:26 IST
Reason: SelfAttested